न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठैड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :–60/2020/भीलवाड़ा

1.रामपाल पुत्र श्री मोहन माली उम्र वयस्क निवासी डाबला कचरा, तहसील, शाहपुरा जिला अजमेर।
2.छगन लाल पुत्र श्री मोहन माली उम्र वयस्क निवासी डाबला कचरा, तहसील शाहपुरा जिला अजमेर।
3.मांगीलाल पुत्र श्री मोहन माली उम्र वयस्क निवासी डाबला कचरा, तहसील, शाहपुरा जिला अजमेर।
4.रामकिशन पुत्र श्री मोहन माली उम्र वयस्क निवासी डाबला कचरा, तहसील, शाहपुरा जिला अजमेर।

--अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

––रेस्पोडेंण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा बप्रकरण संख्या 16/2017 निर्णय दिनांक 12.01.2018 एव विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा बप्रकरण संख्या 33/2018 बउनवान रामपाल बनाम राजस्थान राज्य निर्णय दिनांक 23.05.2018

उपस्थित अभि0:–श्री गोपाल अजमेरा(वकील अपी0)
राजकीय अभि0:–उपस्थित

निर्णय दिनांक:–06.01.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डाबला कचरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के सरकारी बिलानाम खसरा नम्बर 112,113 रकबा 0.18, 0.21 हे0 किस्म बीड़ भूमि पर अतिक्रमण कर ज्वार बोकर अतिक्रमण करने से अतिक्रमण करने से रामपाल,छगन,मांगीलाल,रामकिशन पिता मोहन जाति माली निवासी डाबला कचरा के विरूद्ध एलआरएक्ट 1956 धारा 91 की कार्यवाही करते हुए अपीलांटगण को पश्चातवृति अतिक्रमी मानते हुए तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 16/2017 निर्णय दिनांक 12.01.2018 से अपीलांटगण के विरूद्ध तीन माह के सिविल कारावास की सजा बेदखली एवं शास्ति बाबत निर्णय किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांटगण द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा न्यायालय में प्रकरण संख्या 33/2018 से अपील दर्ज करवायी गई। उक्त अपील पर सुनवाई के बाद तहसीलदार शाहपुरा द्वारा किये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अपील अपने निर्णय दिनांक 23.05.2018 से खारिज कर दिया गया। वर्तमान अपील पूर्व में आरएए न्यायालय भीलवाड़ा में दिनांक 09.07.2018 को दर्ज रजिस्टर करवायी गयी थी। जो बाद में राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.[illegible] के क्रम में न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई है। अपील में अपीलांट द्वारा निम्न आधार बताये गये

1. अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है आराजी रिक्त पड़ी हुई है। पूर्व में भी अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के यहां कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 19:18:35 IST
Reason: SelfAttested

2. मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा निर्णय किया गया है जो बाद में प्रथम अपील न्यायालय ने भी माना है। पटवारी रिपोर्ट एकतरफा में तैयार की गई है। अपील स्वीकार की जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत किया है। जिस पर आरएए न्यायालय भीलवाड़ा द्वारा दर्ज रजिस्टर दिनांक 09.07.2018 को ही अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की थी।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि भूमि की किस्म बीड़ है, कब्जा छोड़ दिया है और शपथ पत्र दिया है। अपील स्वीकार की जायें।

सर्वप्रथम अपील के अंदर मियाद होने बाबत बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2018 का है। तत्समय अपीलांट द्वारा दिनांक 09.07.2018 को अपील आरएए भीलवाड़ा न्यायालय में प्रस्तुत करना पाया जाता है। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 16/2017 के निर्णय दिनांक 12.01.2018 का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी में कोई तारीख का अंकन नहीं है तथ कैफियत में पूर्ववर्ती दर्ज किया हुआ है। जमीन ग्राम डाबला कचरा में है। तहसीलदार द्वारा निर्णित प्रकरण की न्यायालय आदेशिका दिनांक 15.12.2017 से दिनांक 12.01.2018 का अवलोकन किया गया है। दिनांक 15.12.2017 को पटवारी रिपोर्ट के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके अतिक्रमी को नोटिस जारी किये गये। अगली पेशी दिनांक 12.01.2018 रखी गयी। दिनांक 12.01.2018 को प्रोसिडिंग में यह अंकित किया हुआ है। **''पत्रावली पेश हुई, अतिक्रमी उपस्थित, निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम हो।''**

पटवारी रिपोर्ट किन अन्य लोगो की उपस्थिति में बनायी गई है तथा किस दिनांक को बनाई गई है। यह स्पष्ट नहीं होता है। न्यायालय आदेशिका के अवलोकन से पता लगता है कि न्यायालय में सिर्फ छगनलाल,रामपाल और मांगीलाल ही उपस्थित हुए थे। अतिक्रमी रामकिशन उपस्थित हुआ था या नहीं हुआ था यह निर्णय में कही लिखा हुआ नहीं पाया गया। ना` निर्णय में उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई हो यह लिखा हुआ हो। ऐसी स्थिति में यही माना जायेगा कि रामकिशन के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा बिना तामील हुए अविधिक निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार द्वारा धारा 22 के तहत जो नोटिस जारी किया गया है। वह सभी अतिक्रमीयों के विरूद्ध एक ही नोटिस जारी किया जाना पाया जाता है जो कि प्रक्रिया के विरूद्ध है।

तहसीलदार शाहपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 12.01.2018 में इन्हीं अतिक्रमीयों के विरूद्ध किस पूववर्ती प्रकरण में कार्यवाही की गई थी। यह अंकित नहीं किया गया है। मात्र यह अंकित किया गया है कि संवत 2073 खरीफ में भी इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था। वर्तमान प्रकरण संवत 2074 का बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संबंधित पटवारी मौका रिपोर्ट एवं निर्णय संभवतः उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:35 IST
Reason: SetAttested

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार विवादित खसरा नम्बर पर इनका कोई कब्जा नहीं है व भविष्य में कोई कब्जा नहीं करेगें। इस बाबत शपथ पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है। राजस्व मण्डल में अनेकाअनेक प्रकरण में यह व्यवस्था दी है कि यदि अतिक्रमी ऐसा शपथ पत्र देता है, अपना कब्जा छोड़ने के लिये कहता है तथा भविष्य मे भी कब्जा नहीं

करेगा ऐसा कहता है तो राजस्व मण्डल द्वारा सिविल कारावास की सजा को स्थगित करने के निर्णय दिये गये है। जिसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे प्रकरणों में तहसीलदार जाकर स्वयं मौका जांच करेगा तथा चूक न पाये जाने पर सिविल कारावास की सजा को उनके द्वारा अपास्त करने हेतु निर्णय प्रदान किये है। चूक पाये जाने पर सिविल कारावास की सजा बनी रहेगी। यह निर्णय उनके द्वारा पारित किये गये है। अन्य आदेश बेदखली और पैनाल्टी लागू रहेगी। वर्तमान प्रकरण में भी यही स्थिति है।

समग्र विवेचन विश्लेषण के बाद न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांटगण अतिक्रमीयों को तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन प्रकरण 16/2017 में जॉइंट नोटिस जारी किया गया था तथा रामकिशन की कोई तामील नहीं हुयी थी। मात्र पटवारी रिपोर्ट आधार पर सिविल कारावास की सजा बाबत निर्णय दिया गया है जो बिल्कुल उचित नहीं है। पटवारी के बयानों का क्रॉस एक्जामीनेशन नहीं करवाया गया। ना ही पटवी रिपोर्ट के समय अपीलांटगण की उपस्थिति रही है। तहसीलदार द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये निर्णय दिया गया है। जिसे प्रथम अपील न्यायालय में भी बिना विश्लेषण किये बिना सही मान लिया गया है। जो उचित नहीं है। राजस्व मण्डल द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिये गये शपथ पत्र के आधार पर सिविल कारावास की सजा को अपास्त करना उचित समझता है। निर्णय के अन्य घटक यथावत रहेगे(बेदखली और पैनाल्टी)। अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांटगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा तहसीलदार शाहपुरा अन्तर्गत प्रकरण संख्या 16/2017 निर्णय दिनांक 12.01.2018 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 33/2018 निर्णय दिनांक 23.05.2018 में तीन माह के सिविल कारावास की सजा की सीमा तक निर्णयों को अपास्त किया जाता है। शेष निर्णय यथावत रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:35 IST
Reason: SelfAttested